प्रेषकः

विजय शंकर उपाध्याय
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, फतेहपुर।

सेवा में:

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक 22 /पन्द्रह फतेहपुरः दिनांकः15 सितम्बर ,2020

विषयः प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय फतेहपुर व अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय पूर्ण सेनेटाइजेशन हेतु बन्द होने की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

जिलाधिकारी, फतेहपुर के पत्र संख्या 847/एस0टी0–डी0एम0 दिनांक 15.09.2020 द्वारा जनपद न्यायाधीश फतेहपुर के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि जिला सर्विलांस अधिकारी, आई0डी0एस0पी0 जिला फतेहपुर की कोरोना से सम्बन्धित आज दिनांक 15.09.2020 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जनपद न्यायालय, फतेहपुर में कार्यरत अपर सिविल जज (जू0डि0) न्यायालय संख्या 05, फतेहपुर श्री रत्न शेखर निर्मल की कोरोना वायरस (कोविड–19) रिपोर्ट दिनांक 14.09.2020 को हुए परीक्षण में धनात्मक पाई गई है। उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रोटोकॉल के अनुसार होम आइसोलेशन में हैं। श्री रत्न शेखर निर्मल के अतिरिक्त अन्य कोई कर्मचारी परीक्षण में धनात्मक नहीं पाया गया है।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad Dated 03.06.2020 के प्रस्तर संख्या 15 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 16.09.2020 एवं 17.09.2020 को जनपद न्यायालय परिसर, फतेहपुर के पूर्ण सेनेटाइजेशन के उद्देश्य से जनपद न्यायालय, फतेहपुर पूर्णतः बन्द रहेगा तथा दिनांक 18.09.2020 को सेनेटाइजेशन के पश्चात न्यायिक कार्य हेतु न्यायालय खोला जायेगा। चूँकि प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय फतेहपुर व अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय फतेहपुर के न्यायालय व कार्यालय जनपद न्यायालय फतेहपुर परिसर में ही स्थित हैं। अतएव प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय फतेहपुर व अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय फतेहपुर दिनांक 16.09.2020 एवं 17.09.2020 को पूर्णतया बन्द रहेंगे तथा दिनांक 18.09.2020 को सेनेटाइजेशन के पश्चात न्यायिक कार्य हेतु खुलेंगे।

सूचना माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

दिनांकः सितम्बर ,2020

15.9.2020

(विजय शंकर उपाध्याय)
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, फतेहपुर।